राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या 15/2017 एवं 16/2017 .....जिला.....उदयपुर.....

मैसर्स आर्ची एन्टरटेन्मेन्ट एण्ड रिक्रिएशन उदयुपर बनाम् वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, बांसवाड़ा।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23/1/2017	**खण्डपीठ** **श्री मदन लाल, सदस्य** **श्री के.एल.जैन, सदस्य** अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री राकेश मेहता एवं विभाग की ओर से श्री आर.के. अजमेरा, उप–राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। यह दोनों अपीलें मय स्थगन प्रार्थना पत्रों के अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.12.20016 जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 25, 55 एवं 61 के तहत् कायम की गयी मांग राशियों के संबंध में पारित किया गया है, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। दोनों अपीलों में अपीलीय अधिकारी द्वारा निम्नांकित तालिकानुसार विवादित मांग राशियों में से शेष बकाया राशि रूपयों की वसूली पर रोक लगाने के प्रार्थना पत्र को आंशिक स्वीकार किया, जिसके विरूद्ध यह दोनों अपीलें मय स्थगन प्रार्थना पत्रों के अधिनियम की धारा 38(4) सहपठित धारा 83 के तहत कर बोर्ड में प्रस्तुत की गई है।	

अपील सं.	अवधि	अपीलीय अधिकारी के समक्ष स्थगन हेतु आवेदित राशि	अपीलीय अधिकारी द्वारा स्थगित शास्ति राशि	राशि जिस हेतु स्थगन चाहा गया
1	2	3	4	5
15/2017	15–16	20,12,168	12,89,852	6,58,423
16/2017	16–17	79,890	53,260	23,967

अपीलार्थी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेशों के विरूद्ध प्रस्तुत अपीलें अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.12.2016 द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार की गई। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेशों से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह दोनों अपीलें कर बोर्ड में प्रस्तुत की गयी हैं।

दोनों प्रकरणों में विवादित बिन्दु समान होने के कारण इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है, निर्णय कि प्रति प्रत्येक पत्रावली में पृथक से रखी जा रही है।

उभयपक्षीय बहस सुनी गयी ।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने तर्क दिया कि पारित अपीलीय आदेश विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है, क्योंकि अपीलीय अधिकारी ने रोक प्रार्थना पत्रों को आंशिक स्वीकार करने के संबंध में कोई कारण अंकित नहीं किया है। व्यवहारी द्वारा रेस्टोरेन्ट से संबंधित व्यवसाय किया जाता है जिसमें फूड एवं बेवरेज की बिक्री व सर्विस ग्राहकों को उपलब्ध करायी जाती है। व्यवहारी ने वर्ष 2012 में "संकल्प इन" फूड चैनल के साथ एवं समझौता किया, जिसके तहत "संकल्प इन" द्वारा उन्हें "सेफ्रोन ब्राण्ड" नाम का उपयोग करने का अधिकार फ्रेन्चाईजी एग्रीमेंट के तहत प्रदान किया गया था। जिसके तहत प्रार्थी व्यवहारी द्वारा "संकल्पइन" नाम से ब्रान्डेड फूड की बिक्री करने रेस्त्रां का व्यवसाय किया जाता है। कर देयता 14.5 प्रतिशत मानते हुये कर निर्धारण अधिकारी ने जिसमें विक्रीत/आपूर्ति किये गये Cooked food करदेयता निर्धारित की है, जो अविधिक

लगातार.....2

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 15/2017 एवं 16/2017 .....जिला.....उदयपुर.....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज —: 2 :—	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23/1/2017	है। अतः मांग राशियों के संबंध में उपर्युक्त वर्णित आधार पर, प्रकरण एवम् सुविधा संतुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में होने के कारण, विवादित मांग राशियों (उपरोक्त तालिकानुसार कॉलम संख्या 5) की वसूली पर रोक लगाने की प्रार्थना की गयी । विभागीय प्रतिनिधि ने अपीलीय आदेशों का समर्थन कर, सुविधा संतुलन विभाग के पक्ष में होना प्रकट किया तथा वसूली पर रोक प्रार्थना पत्रों को अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी। हमने उभयपक्ष की बहस सुनी एवं रिकार्ड का अवलोकन किया। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा "संकल्प इन" जो एक भागीदार फर्म है से पांच वर्ष हेतु फ्रेन्चाइज प्राप्त की तथा "सेफ्रोन" ट्रेड मार्क से Cooked food तैयार कर विक्रय/सर्व करने का अनुबंध किया गया है एवं तदनुरूप ही रेस्त्रां का संचालन किया जाता है। अतः "संकल्प इन" ब्रान्डेड आउटलेट से फ्रेन्चाइज लेकर ट्रेड मार्क युक्त भोजन Cooked food की बिक्री/आपूर्ति की जाती है। अतः रेस्त्रां में विक्रीत Cooked food पर देयकर का निर्वचन विवादित है। अतः अपीलीय अधिकारी के समक्ष विचाराधीन अपीलों में गुणावगुण पर प्रतिकूल प्रभाव डाले प्रथम दृष्टया सुविधा संतुलन विभाग के पक्ष प्रतीत होने से प्रस्तुत अपीलें मय स्थगन प्रार्थना पत्र अस्वीकार किये जाते हैं एवं अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते है कि वे उनके समक्ष प्रस्तुत अपीलों का निष्पादन इस आदेश की प्राप्ति के तीन माह में आवश्यक रूप से करें। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीलें मय स्थगन प्रार्थना पत्र अस्वीकार किये जाते हैं। दोनों अपीलों का निस्तारण उपर्युक्तानुसार किया जाता है। आदेश प्रसारित किया गया। (के.एल.जैन) सदस्य (मदन लाल) सदस्य	